

Ref: ISD/19-20/251

October 10, 2019

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code - 532477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
--	--

Dear Madam /Sir,

Subject: Postal Ballot Notice - Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We refer to our letter no. ISD/19-20/247 dated October 9, 2019 informing about obtaining shareholders' approval through Postal Ballot Process for issue of equity shares to Government of India on Preferential Basis.

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose Postal Ballot Notice containing explanatory statement along with Postal Ballot Form.

Further, the schedule of events of Postal Ballot is as under:

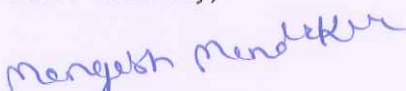
Cut Off Date (to decide shareholders eligible to vote through Postal Ballot and e-Voting)	Wednesday, October 9, 2019
E-Voting Start Date & Time	9:00 AM on Monday, October 14, 2019
E-Voting End Date & Time	5:00 PM on Tuesday, November 12, 2019
Last Date by which Postal Ballot Form shall reach to Scrutinizer	5:00 PM on Tuesday, November 12, 2019
Declaration of Results	On or before Thursday, November 14, 2019

Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

This is for your information and appropriate dissemination please.

Thanking you.

Yours faithfully,


 (Mangesh Mandrekar)
 Company Secretary

Encl.: As above

पोस्टल बैलट नोटिस POSTAL BALLOT NOTICE

पोस्टल बैलट फॉर्म जांचकर्ता को पहुँचने की अंतिम तिथि:
Last Date by which Postal Ballot Form shall reach to Scrutinizer:

मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019
Tuesday, 12th November, 2019

ई-वोटिंग अवधि / E-Voting Period

सोमवार, 14 अक्टूबर, 2019 से मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019
Monday, 14th October, 2019 to Tuesday, 12th November, 2019

विषय सूची

	पृष्ठ क्रमांक
सूचना	1
नोट्स	2
वोटिंग की प्रक्रिया	3
व्याख्यात्मक विवरण	5
हरित पहल शेअर धारको से अपील	13

CONTENTS

	Page No.
Notice	7
Notes	8
Procedure for Voting	9
Explanatory Statement	11
Green Initiative - Appeal to Shareholders	13

पोस्टल बैलट नोटिस

प्रिय शेयरधारक(कों),

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 यथा समय-समय पर संशोधित तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 (विद्यमान प्रभावी किसी भी सांविधिक संशोधन(नों) या पुनःअधिनियमन(नों)) के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) अपने शेयर धारकों से पोस्टल बैलट के जरिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग यथा “ई-वोटिंग” शामिल है, निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करने की अनुमति चाहता है. प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृत्तांत एवं उसके कारण आपके विचारार्थ हेतु पोस्टल बैलट फॉर्म (“फॉर्म”) के साथ संलग्न हैं.

बैंक ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट एवं ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु श्री विनय अंगने पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी (सीओपी न. 9837) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है.

कृपया पोस्टल बैलट नोटिस एवं फॉर्म में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा पूर्ण रूप से विधिवत भरा हुआ फॉर्म संलग्न स्वनामांकित पोस्टेज प्री-पेड बिजनेस लिफाफे में इस तरह भेजें कि वह जांचकर्ता को निम्नलिखित पते पर **दिनांक 12 नवंबर, 2019, मंगलवार** को कार्य की समाप्ति यथा शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाए :

जांचकर्ता

द्वारा डाटामेटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि,
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
प्लॉट नंबर. बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआईडीसी
अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093
टेलीफोन क्र.: 022 - 66712001-6

बैंक विशेष संकल्प पर वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रहा है. ई-वोटिंग सुविधा पाने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट नोटिस के नोट्स एवं ई-वोटिंग के अधीन दिए गए निर्देशों को पढ़ें.

जांचकर्ता पोस्टल बैलट की जांच पूर्ण करने के बाद रिपोर्ट को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (“एमडी एवं सीईओ”) या बोर्ड निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निदेशक/ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. पोस्टल बैलट द्वारा वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में **दिनांक 14 नवंबर, 2019, गुरुवार को शाम 5.00 बजे** या उसके पूर्व सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित की जाएगी. यह बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in एवं ई-वोटिंग एजेंसी नैशनल सेक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) www.evoting.nsdl.com की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

कार्यसूची : भारत सरकार (जीओआई) को प्राथमिकता के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना.

विचारोपरांत उचित पाए जाने पर विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

“**संकल्प किया** कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“**अधिनियम**”), राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (“**योजना**”), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम, 1998 यथा समय-समय पर संशोधित (“**विनियमन**”), भारतीय रिजर्व बैंक (“**आरबीआई**”), भारत सरकार (“**जीओआई**”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“**सेबी**”), स्टॉक एक्सचेंज जिसपर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, के प्रावधानों के अनुरूप, जहां कहीं लागू हो और/ या इस संबंध में आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य प्राधिकारी एवं इस प्रकार के अनुमोदन प्रदत्त करते समय उनके द्वारा निर्धारित इस प्रकार के शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अधीन तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार और सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2018 (“**आईसीडीआर विनियम**”), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (“**लिस्टिंग विनियम**”), यथा तारीख संशोधित अनुसार, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज जिसमें बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है, के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता करार और भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद “**दि बोर्ड**” कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु **भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति)** को अधिमान आधार पर कुल **रु. 11,768 करोड़ (रुपये ग्यारह हजार सात सौ अड़सठ करोड़ मात्र)** के अपेक्षित संख्या में प्रत्येक रु.10/- (रुपए दस मात्र) अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा ऐसा किया गया.”

“**पुनः संकल्प किया** कि, आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 161 के अनुसार निर्गम का मूल्य निर्धारण करने के उद्देश्य से **प्रासंगिक तारीख शुक्रवार, 11 अक्टूबर, 2019** होगी.”

“**पुनः संकल्प किया** कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीयन, अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा.”

“**पुनः संकल्प किया** कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी साविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे.”

“**पुनः संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.”

“**पुनः संकल्प किया** कि बोर्ड उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई भी एक कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें वह उचित समझे उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकता है.”

निदेशक मण्डल के आदेशों द्वारा जारी



(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई

दिनांक: 09 अक्टूबर, 2019

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरण

आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 163(1) के अधीन प्रस्तावित संकल्प हेतु सभी भौतिक तथ्यों एवं कारणों तथा अपेक्षित प्रकटीकरण संबंधी व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. नोटिस को प्रेषित करने का माध्यम

पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ यह नोटिस उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिसके ई-मेल बैंक/ डिपाजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, बशर्ते कि उसने इसकी भौतिक प्रति प्राप्त होने के लिए रजिस्टर्ड न कर रखा हो. उन शेयरधारकों को, जिनके ई-मेल पंजीकृत नहीं हैं, भौतिक प्रतियाँ अनुमत माध्यमों से भेजी जा रही है. शेयरधारक यह भी नोट करें कि पोस्टल बैलट नोटिस बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in और ई-वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल www.evoting.nsdl.com की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

3. निर्धारित तारीख

वोटिंग अधिकार की गणना **09 अक्टूबर, 2019 (“निर्धारित तारीख”)** को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत इक्विटी शेयर की प्रदत्त पूंजी के आधार पर की जाएगी. केवल वही शेयरधारक, जिनके नाम निर्धारित तारीख को बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर्ड या डिपाजिटरीज के द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामित्व रजिस्टर में दर्ज हैं, वही पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग के द्वारा अपने वोट दे पाएंगे. कोई भी व्यक्ति, जो निर्धारित तारीख को सदस्य नहीं है, वह पोस्टल बैलट की इस नोटिस को केवल सूचना मात्र समझे.

4. वोटिंग अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अलावा, संबंधित नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक किसी शेयरधारिता के लिए वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा. अधिनियमों, विनियमों, योजनाओं और विनियमों के किसी भी संशोधन की दशा में, दिये गए नोटिस की मौजूदा प्रक्रिया के किसी भी भाग में परिवर्तन होगा, परिणामस्वरूप संशोधन लागू होगा.

5. वोटिंग का माध्यम

शेयरधारक वोटिंग का केवल एक माध्यम चुन सकते हैं अर्थात या तो पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग. यदि, कोई सदस्य अपना वोट पोस्टल बैलट फॉर्म और ई-वोटिंग दोनों प्रकार से देता है, तो ई-वोटिंग से दिया गया वोट वैध माना जाएगा और पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से दिए गए वोट को अवैध माना जाएगा.

इसके अलावा, जिन शेयरधारकों को पोस्टल बैलट की नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है और वो पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपना वोट देना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in से पोस्टल बैलट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सेक्रेटरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 को लिखें और विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित पोस्टल बैलट फॉर्म जांचकर्ता को इस प्रकार भेज दें कि वह दिनांक 12 नवंबर, 2019, गुरुवार को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक या उससे पहले उनके पास पहुंच जाएं.

6. संकल्प पारित करने की तारीख

उक्त संकल्प, यदि बहुमत से पास हो जाता है, तो इसे दिनांक 12 नवंबर, 2019 अर्थात बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख को विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म या ई-वोटिंग की प्राप्ति को पास हुआ माना जाएगा.

7. प्रोक्सी

किसी भी सदस्य को पोस्टल बैलट पर प्रोक्सी द्वारा वोट करने का अधिकार नहीं होगा.

8. वोटिंग की प्रक्रिया

(i) पोस्टल बैलट फॉर्म के जरिए वोटिंग

ऐसे शेयरधारक, जो पोस्टल बैलट फॉर्म के द्वारा वोट करना चाहता है, से अनुरोध है कि फॉर्म के पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें एवं पूरा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित फॉर्म संलग्न प्रीपेड बिजनेस रिप्लाय लिफाफे, जिस पर प्राप्तकर्ता का पता मुद्रित है, में रखकर जांचकर्ता को भेज दें, जिससे वह जांचकर्ता को दिनांक 12 नवंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे तक पहुंच जाएं. डाक खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा. तथापि, पोस्टल बैलट फॉर्म का लिफाफा यदि कोरियर या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा शेयरधारक अपने व्यय पर प्रीपेड बिजनेस रिप्लाय लिफाफे पर दिए गए पते पर भेजता है या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करता है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा. यदि कोई पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक 12 नवंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इसके अलावा, कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट फॉर्म को अवैध माना जाएगा यदि :

- (ए) शेयरधारक/कों की सहमति या असहमति का बिना किसी संदेह के पता लगाना संभव नहीं होता है; और/या
- (बी) सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक/कों के वोटिंग अधिकार को फ्रीज करने के लिए बैंक को लिखित रूप से निर्देश दे दिए हैं; और/या
- (सी) यह इस तरीके से मुड़ा-तुड़ा या कटा-फटा है कि इसकी पहचान वाजिब फॉर्म के रूप में स्थापित करना संभव नहीं है; और/या
- (डी) शेयरधारक/कों ने अपने वोट का प्रयोग करते समय इसमें दिए गए प्रस्ताव में कोई संशोधन कर दिया है या कोई ऐसी शर्त लगा दी है; और/या
- (ई) फॉर्म में दिए गए विवरण अपूर्ण एवं सही नहीं हैं; और/या
- (एफ) फॉर्म हस्ताक्षरित नहीं है या हस्ताक्षर मेल नहीं खाते; और/या
- (जी) यदि प्रयोग में लाया गया फॉर्म बैंक द्वारा जारी फॉर्म से अलग है.

यदि, कोई शेयरधारक डुप्लीकेट फॉर्म लेने का इच्छुक है, तो वह बैंक को इसके पते पर केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 या इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, डाटामैट्रिक्स बिजनेस सोल्युशन लिमिटेड यूनिट-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्लॉट न. बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093 को लिख सकते हैं. तथापि, ऐसी स्थिति में भी पूरा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डुप्लीकेट पोस्टल बैलट फॉर्म जांचकर्ता के पास दिनांक 12 नवंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए.

(ii) ई-वोटिंग

ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका निम्नानुसार होगा :

वोटिंग की अवधि दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर दिनांक 12 नवंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) को समाप्त होगी. इस अवधि के दौरान, बैंक के ऐसे शेयरधारक जो कट-ऑफ तारीख अर्थात 9 अक्टूबर, 2019 तक भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं. इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा.

चरण 1: एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर लॉग-इन करें

1. पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com/> देखें.
2. “Login” आइकॉन पर क्लिक करें, जो ‘Shareholders’ अनुभाग में उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. अब, अपना यूजर आईडी भरें,
ए. डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयर धारक - 16 अंक का डीमैट खाता नंबर
बी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक - EVEN नंबर (112551) के बाद फोलियो नंबर
4. स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना पासवर्ड और सत्यापन कोड दर्ज करें.
5. आपका पासवर्ड ब्यौरा निम्नानुसार है :
ए) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो अपना वोट देने हेतु अपना विद्यमान पासवर्ड और लॉग-इन का प्रयोग कर सकते हैं.
बी) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको अपना “प्रारम्भिक पासवर्ड” दर्ज करना होगा, जो आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर या डाक द्वारा पंजीकृत पते पर भेजा गया है. फिर सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए अनुरोध करेगा.
एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ईमेल में संलग्न **Evoting.pdf** के रूप में आपकी यूजर आईडी के साथ “प्रारम्भिक पासवर्ड” है. उक्त फाइल को खोलने के लिए डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के शेयरधारकों के लिए 16 अंकों के डीमैट खाते का अंतिम 8 अंक या भौतिक फॉर्म में धारित शेयरों के शेयरधारकों के लिए फोलियो क्रमांक का उपयोग करें.
यदि आप अपना “प्रारम्भिक पासवर्ड” रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको अपना पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं :
ए) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर धारण करते हैं - यदि एनएसडीएल या सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखे गए हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password?” पर क्लिक करें.
बी) यदि आप भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करते हैं - यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Physical User Reset Password?” पर क्लिक करें.
सी) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों के द्वारा भी आपको पासवर्ड नहीं मिला है, तो अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं
6. अपना पासवर्ड डालने के बाद चेक बॉक्स का चयन करते हुए **Terms and Conditions** पर सहमति के लिए क्लिक करें.
7. “लॉग-इन” बटन पर क्लिक करें. इसके बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा.
वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानि **IDEAS** के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा **IDEAS Login** के साथ <http://eservices.nsdl.com/> पर लॉगिन कर सकते हैं. एक बार लॉग-इन क्रेडेंसियल का उपयोग करने के पश्चात एनएसडीएल ई-सर्विसेस में लॉग इन कर सकते हैं. ई-वोटिंग पर क्लिक करें तथा आप चरण 2 में आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप अपना वोट दे सकते हैं

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दें.

1. सफलतापूर्वक लॉग-इन के पश्चात आपको ई-वोटिंग का होमपेज दिखाई देगा. ई-वोटिंग पर क्लिक करें.
2. उसके बाद, **Active Voting Cycles** पर क्लिक करें.
3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - 112551 के “EVEN” का चयन करें.
4. अब वोटिंग पेज खुल गया है और आप ई-वोटिंग कर सकते हैं.
5. सही विकल्प अर्थात assent या dissent, शेयरों की संख्या जिनके लिए आप वोट करना चाहते हैं, उनकी जांच कर लें तथा “Submit” और “Confirm” पर क्लिक करें.

6. पुष्टि के उपरांत, “Vote cast successfully” प्रदर्शित होगा.
7. पुष्टीकरण पेज पर प्रिंट-आउट विकल्प पर क्लिक करते हुए, आप दिये गए वोट का प्रिंट-आउट भी प्राप्त कर सकते हैं.
8. संकल्प पर एक बार अपनी पुष्टि के बाद, आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी.

संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप में) विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं), जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत है, के प्राधिकृत नमूना हस्ताक्षर के साथ जाँचकर्ता को vinayangane@rediffmail.com पर मेल करें तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर प्रेषित करें.

यह सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने पर अधिकाधिक ध्यान दें. सही पासवर्ड के स्थान पर पाँच बार असफल प्रयास करने पर ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगिन बंद हो जाएगी. ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प “Forgot User Details/Password?” या “Physical User Reset Password?” पर जाना होगा.

किसी भी पुछताछ हेतु, आप सदस्यों के लिए www.evoting.nsdl.com के डॉउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या NSDL से निम्नलिखित टॉल फ्री नंबर : 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2018 के अधीन अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन, :

ए) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बासेल III मानदंडों के अधीन बैंक की पूंजीगत स्थिति के स्तर को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से बैंक, भारत सरकार को अधिमानित आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन के जरिए पूंजीगत निधि जुटाना चाहता है जिसके लिए वह अपने शेयरधारकों से अनुमोदन चाहता है.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 27 सितंबर, 2019 और 30 सितंबर, 2019 के जरिए सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान हमारे बैंक को रु.11,768 करोड़ की पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत सरकार के पक्ष में जारी अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन के रूप में होगी. भारत सरकार ने दिनांक 27 सितंबर, 2019 को रु.6,216 करोड़ और 30 सितंबर, 2019 को रु.5,552 करोड़ राशि प्रेषित कर दी है तथा उक्त को बैंक में “लंबित शेयर आबंटन आवेदन राशि” मद में रखा गया है.

बी) जारी की जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या :

आईसीडीआर विनियमों के विनियम 161 के अनुसार, प्रासंगिक तिथि 11 अक्टूबर, 2019 है तथा निर्गम मूल्य की गणना आईसीडीआर विनियमों के अनुसार की जाएगी. तदनुसार, जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या निर्धारित की जाएगी. उक्त का प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाएगा और शेयरधारकों की जानकारी के लिए भारत में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा.

सी) प्रस्ताव के अभिदान हेतु जारीकर्ता के प्रमोटर्स, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का आशय :

अधिमानी निर्गम भारत सरकार (बैंक के प्रमोटर्स) को प्रस्तावित किया जाना है. कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा प्रस्ताव पर शेयर खरीदने का प्रस्ताव नहीं है.

डी) अधिमानी निर्गम से पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का पैटर्न :

निर्गम से पूर्व :

क्र.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	भारत सरकार	1,30,94,77,239	74.27
2.	अन्य (पब्लिक)	45,35,39,075	25.73
	कुल	1,76,30,16,314	100.00

निर्गम के पश्चात :

निर्गम मूल्य के निर्धारण के पश्चात और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या को स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयरधारकों को दी जाएगी. उपरोक्त पैरा (बी) में उल्लिखित पद्धति पर उक्त प्रकटीकरण किया जाएगा.

- ई) विशेष प्रस्ताव से संबंधित आर्बटन प्रक्रिया इस प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी जहां कोई भी आवेदन सेबी (एसएसटी) विनियमन, 2011 के प्रभाव से मुक्ति हेतु केंद्रीय सरकार या किसी भी विनियम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुमोदन या अनुमति लंबित है, 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की गणना ऐसे आवेदन के आदेश की तारीख या अनुमोदन अथवा अनुमति की तारीख से जैसा भी मामला हो, की जाएगी।
- एफ) चूंकि यह संपूर्ण अधिमानी निर्गम बैंक के मुख्य शेयरधारक तथा प्रवर्तक भारत सरकार को किया जाएगा, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- जी) बैंक के इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं।
- एच) भारत सरकार को जारी किए जाने वाले एवं आर्बटित सभी इक्विटी शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदनों की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लॉक होंगे।
बशर्ते कि बैंक की कुल पूंजी के बीस प्रतिशत से अनधिक, ट्रेडिंग अनुमोदनों की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लॉक नहीं होंगे।
इसके अलावा, बीस प्रतिशत से अधिक आर्बटित इक्विटी शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदनों की तारीख से छह माह की अवधि तक निर्धारित तारीख से लॉक होंगे।
- आई) भारत सरकार की सम्पूर्ण पूर्व अधिमानित धारिता को संबंधित तारीख से ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख तक 6 माह की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा।
- जे) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, यह प्रमाणित करता हुआ कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, बैंक की वेबसाइट या बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा की तारीख तक उपलब्ध रहें।
- के) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डीमैट फार्म में हैं तथा बैंक द्वारा सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।
- एल) भारत सरकार द्वारा बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर संबंधित तारीख से छः माह के दौरान बेचा नहीं गया है।
- एम) बैंक यह स्वीकार करता है कि जहां कहीं ऐसा करना आवश्यक हो, वहां इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनः गणना करेगा।
- एन) बैंक यह स्वीकार करता है कि यदि मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां आर्बटिती द्वारा भुगतान किए जाने तक लॉक-इन रहेंगी।
- ओ) चूंकि बैंक या उनके प्रवर्तक या उनका कोई भी निदेशक जानबूझकर चूककर्ता नहीं है, अतः आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची VI में निर्दिष्ट प्रकटीकरण के अनुसार यह लागू नहीं होगा।
- पी) बैंक के किसी भी निदेशक को फ्यूजिटिव इकोनामिक ऑफेंडर घोषित नहीं किया गया है।
- क्यू) बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध करने संबंधी अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान है कि जब आगे शेयरों के आर्बटन के द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाएगा, तो ऐसे शेयरों के लिए सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा, जब तक कि वे सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से इसके विपरीत निर्णय न लें। चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अतिरिक्त पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आर्बटित करने का प्रस्ताव है, अतः उक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। साथ ही आईसीडीआर विनियमावली, के विनियम 160 के अंतर्गत भी यह आवश्यक है।

आपके निदेशक इस कार्यसूची के लिए नोटिस में वर्णित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का बैठक की इस कार्यसूची में कोई हित या संबंध शामिल नहीं हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशों द्वारा जारी



(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई

दिनांक: 09 अक्टूबर, 2019

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Union Bank of India (hereinafter referred to as the “Bank”) to pass the following Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. “E-Voting”. The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto along with Postal Ballot Form (“Form”) for your consideration.

The Bank has appointed Mr. Vinay Angane, Practicing Company Secretary (COP No. 9837) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot & E-Voting process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Postal Ballot Notice & Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. **5.00 p.m. on Tuesday, November 12, 2019**, at the following address:

The Scrutinizer

C/o Datamatics Business Solutions Ltd,
Unit: Union Bank of India,
Plot no. B-5, Part B Crosslane, MIDC
Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel No: 022 - 66712001-6

The Bank is also providing E-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Postal Ballot Notice and instructions given thereunder for e-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director & Chief Executive Officer (“MD&CEO”) or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before **5:00 p.m. on Thursday, November 14, 2019** at Central Office, Mumbai of the Bank by displaying on the Notice Board and will be intimated to the Stock Exchanges. It will also be hosted on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in and website of the e-voting agency **National Securities Depository Limited (NSDL)** www.evoting.nsdl.com.

Agenda: Issue of Equity Shares on Preferential Basis to Government of India (GoI)

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**“the Act”**), the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**“Scheme”**), Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended from time to time (**“the Regulations”**) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**“RBI”**), Government of India (**“GOI”**), Securities and Exchange Board of India (**“SEBI”**), Stock Exchanges on which Bank’s equity shares are listed, wherever applicable, and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**“ICDR Regulations”**), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**“Listing Regulations”**), as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot such number of Equity shares of face value of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash to the **Government of India (i.e. President of India)** aggregating to ₹ **11,768 Crore (Rupees Eleven Thousand Seven Hundred Sixty Eight Crore Only)** on Preferential Basis at an issue price inclusive of premium to be determined in accordance with Regulation 164(1) of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT, in terms of Regulation 161 of the ICDR Regulations, the **Relevant Date** for determination of the issue price shall be **Friday, October 11, 2019.**”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued shall rank *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or anyone of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: October 9, 2019

Notes:

1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement stating all material facts, reasons for the proposed resolution and disclosures required under Regulation 163(1) of ICDR Regulations is annexed hereto.

2. Mode of Dispatch of Notice

This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose Email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their Email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank’s website www.unionbankofindia.co.in and on e-voting agency NSDL’s website www.evoting.nsdl.com.

3. Cut-off date

The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on **October 9, 2019 (“Cut-off date”)**. Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only.

4. Voting Rights

Pursuant to Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

5. Mode of Voting

The Shareholders can **opt for only one mode of voting** i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder casts his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote casted through e-Voting shall prevail and the vote casted through Postal Ballot Form shall be considered invalid.

Further, Shareholders who have received the Postal Ballot Notice by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.unionbankofindia.co.in or can get the form by writing to the Company Secretary, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021 or by sending email to investorservices@unionbankofindia.com and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach **on or before 5.00 p.m. (IST) on Thursday, November 12, 2019.**

6. Date of Passing of Resolution

The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on **November 12, 2019** i.e. the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.

7. Proxy

A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.

8. Procedure for Voting

(i) Voting through Postal Ballot Form

The Shareholders desiring to exercise their vote by sending Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than **5.00 p.m. on November 12, 2019.** The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received **after 5.00 p.m. on November 12, 2019,** it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

- (a) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/ or
- (b) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
- (c) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or
- (d) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or
- (e) the details provided in the Form are incomplete or incorrect; and/or
- (f) Form is not signed or signature does not tally; and/or
- (g) if the Form other than the one issued by the Bank is used.

In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Form, he/she may write to the Bank at its Central Office, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 or its Registrar and Share Transfer Agent, Datamatics Business Solutions Ltd, Unit: Union Bank of India, Plot no. B-5, Part B Crosslane, MIDC Andheri (East), Mumbai - 400093. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer **on or before 5.00 p.m. on November 12, 2019.**

(ii) E-Voting

The process and manner of e-Voting shall be as follows:

The voting period begins at **9.00 a.m. (IST) on October 14, 2019 and ends at 5.00 p.m. (IST) on November 12, 2019.** The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date i.e. October 9, 2019** may cast their vote electronically.

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system

1. Visit the e-Voting website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Click on the icon “**Login**” available under ‘**Shareholders**’ section.
3. A new screen will open. Now, **enter your User ID**,
 - a. Shareholders holding shares in Demat Form - 16 Digit Demat Account Number
 - b. Shareholders holding shares in Physical Form - EVEN Number (112551) followed by Folio Number
4. **Enter your Password and Verification Code** shown on the screen.
5. Your password details are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, enter the ‘initial password’ sent to you on your registered email id or on your registered address by post. The system will then request you to change your password.

The ‘initial password’ along with your user id is sent in file **Evoting.pdf** as an attachment to email sent by NSDL. The password to open the said file is last 8 digit of your 16 digit demat account number for shareholders holding shares in demat form or folio number for shareholders holding shares in physical form.

If you are unable to retrieve or have not received the “Initial password” or have forgotten your password:

- a) **If you are holding shares in your demat form** - Click on “Forgot User Details/Password?” option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) **If you are holding shares in physical form** - “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
6. After entering your password, **tick the checkbox** for agreeing to Terms and Conditions.
 7. Click on “**Login**” button. Home page of e-Voting will open then.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on E-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

1. After successful login, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on **e-Voting**.
2. Then, click on **Active Voting Cycles**.
3. Select “**EVEN**” of **Union Bank of India - 112551**.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. **Cast your vote** by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “**Submit**” and also “**Confirm**” when prompted.
6. Upon confirmation, the message “**Vote cast successfully**” will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to vinayangane@rediffmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to further strengthen the capital position of the Bank under Basel III norms, the Bank is seeking approvals from its shareholders to raise capital funds by way of allotment of equity shares on preferential basis to Government of India.

The Government of India, Ministry of Finance vide their letter dated September 27, 2019 & September 30, 2019 conveyed their decision of capital infusion to the tune of Rs. 11,768 crore in our Bank during the current financial year by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India. The Government of India has remitted ₹ 6,216 crores on September 27, 2019 & ₹ 5,552 Crores on September 30, 2019 and the same is being maintained by the Bank as “Share Application Money pending allotment”.

b) Maximum number of Specified Securities to be issued:

Pursuant to Regulation 161 of ICDR Regulations, the Relevant Date is October 11, 2019 and the Issue Price will be calculated in accordance with ICDR Regulations. Accordingly, the number of shares to be issued will be determined. Disclosure of the same will be made to stock exchanges and will also be published in not less than two daily newspapers having wide circulation in India for information of shareholders.

c) Intent of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the issuer to subscribe to the offer:

The Preferential Issue is proposed to be made to the GOI (Promoters of the Bank). None of the Directors or Key Managerial Personnel has intent to subscribe the offer.

d) Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Before Issue:

Sr. No.	Category	No. of Shares held	% of shareholding
1.	Government of India	1,30,94,77,239	74.27
2.	Others (Public)	45,35,39,075	25.73
	Total	1,76,30,16,314	100.00

After Issue:

The Post Issue Shareholding Pattern will be informed to the Stock Exchanges and shareholders after determination of the Issue Price and number of equity shares to be allotted to GOI. Disclosure of the same will be made in manner as specified in para (b) above.

e) The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of such resolution provided that where any application for exemption from the applicability of SEBI (SAST) Regulations, 2011 or any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

- f) As the entire preferential issue will be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months.
- h) All the equity shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Trading Approvals.

Provided that not more than twenty percent of the total capital of the Bank shall be locked in for three years from the date of trading approval.

Provided further that equity shares allotted in excess of the twenty percent shall be locked in from the Relevant Date up to a period of six months from the date of trading approval.

- i) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked-in from the Relevant Date upto a period of six months from the date of Trading Approval.
- j) The Certificate is to be issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations shall be available at the Bank's Website or Central Office, Mumbai of the bank till the date of announcement of results of the Postal Ballot process.
- k) All the equity shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the provisions of Listing Regulations.
- l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.
- m) The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.
- n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the allottees.
- o) As the Bank or its Promoter or any of its Directors is not a wilful defaulter, disclosures as specified in Schedule VI to the ICDR Regulations are not applicable.
- p) None of the Directors of the bank have been declared as a fugitive economic offender.
- q) Listing Regulations provide *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a General Meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 160 of the ICDR Regulations.

Your Directors recommend passing of the special resolution mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank are concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board of Directors



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: October 9, 2019

केन्द्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टें तथा

अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में अपना ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

वे अपनी सहमति इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें:

डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,

एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 093

टेली : 022-66712001-6

ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &

OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to Register an email ID their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.

Unit : Union Bank of India,

Plot No.B-5, Part B, Crosslane,

MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.

Tel. No.:022-66712001- 6

E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

प्रति,

डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,

एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 093

टेली : 022-66712001-6

ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/ हम _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेट गवर्नंस के अधीन हरित पहल उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर _____

ई-मेल आईडी _____ @ _____

मोबाईल नम्बर _____

मैं / हम इस आशय से वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई-मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे.

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

Date:

To,

Datamatics Business Solutions Ltd.

Unit : Union Bank of India,

Plot No.B-5, Part B, Crosslane,

MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.

Tel. No.:022-66712001- 6

E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number _____

Email ID _____ @ _____

Mobile Number _____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

Signature of the First/Sole Shareholder

पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(इस फॉर्म को भरने से पहले पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)
(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

संदर्भ सं/Sr. No.

1. एकमात्र / पहले शेयरधारक का नाम एवं पता:
Name & Address of the Sole/First Shareholder:
2. पंजीकृत फोलियो संख्या / डीपी-ग्राहक आईडी
Registered Folio Number/DP-Client ID:
3. धारित शेयरों की संख्या / Number of Shares held:
4. मैं / हम पोस्टल बैलट के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष संकल्प के संदर्भ में अपना वोट देते हैं जो कि बैंक के दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के पोस्टल बैलट नोटिस में उल्लिखित कार्य के लिए है तथा इस संबंध में, मैं / हम कथित संकल्प के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिये गए उचित कॉलम में (✓) चिन्ह लगाकर करते हैं.
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the businesses stated in the Postal Ballot Notice dated 9th October, 2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate column below:

मद सं. Item No.	विवरण Description	दिए जाने वाले वोट के लिए शेयरों की संख्या No. of Shares for which votes cast	संकल्प के लिए मेरी / हमारी सहमति (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	संकल्प के लिए मेरी / हमारी असहमति (विपक्ष में) I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	विशेष संकल्प सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु भारत सरकार को अधिमान आधार पर कुल रु. 11,768 करोड़ के अपेक्षित संख्या में प्रत्येक रु.10/- (रुपए दस मात्र) अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन हेतु. Special Resolution To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) to Government of India aggregating to Rs. 11,768 Crore for cash on Preferential Basis at an issue price (inclusive of premium) to be determined in accordance with regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018.			

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर / Signature of Shareholder

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया नोटिस में संलग्न निर्देशों का संदर्भ लें./For Electronic Voting, please refer the instructions in the Notice attached herewith.

संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख : मंगलवार, 12 नवंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे तक

Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer: By 5.00 PM on Tuesday, 12th November, 2019

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विवरण / ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीईएन EVEN	यूजर आईडी USER ID	पासवर्ड / पिन PASSWORD / PIN

निर्देश / INSTRUCTIONS

1. यदि कोई शेयरधारक अपना वोट पोस्टल बैलट द्वारा करने का इच्छुक है तो वह पोस्टल बैलट फॉर्म भरकर संवीक्षक को सेल्फ एड्रेस पोस्टेज पूर्व भुगतान किए गए लिफाफे में भेजे। पोस्टल बैलट वाले लिफाफे, यदि सदस्य के व्यय पर व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है या कूरियर द्वारा भेजा जाता है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा।
2. यह फॉर्म सही ढंग से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए (बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार)। यदि संयुक्त धारक हैं तो यह फॉर्म प्रथम नाम वाले सदस्य द्वारा भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उसकी अनुपस्थिति में दूसरे नाम वाले सदस्य द्वारा।
3. यदि शेयरधारक कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि हैं तो सही प्रकार से भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत किए जाने की प्रति संलग्न होनी चाहिए। यदि फॉर्म भारत सरकार के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना है तो पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4. यदि अपनी सहमति दर्ज करनी है तो निर्धारित 'पक्ष' कॉलम में तथा असहमति दर्ज करनी हो तो 'विपक्ष' कॉलम में ही (✓) चिन्ह लगाया जाना चाहिए।
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
6. यह आवश्यक नहीं कि कोई शेयरधारक अपने सभी वोट का प्रयोग करे अथवा सभी वोट एक ही तरीके से करे।
7. पूर्ण रूप से भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म संवीक्षक के पास अंतिम तारीख यानि **मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019** को कार्यालय समय अर्थात शाम **5.00 बजे** तक पहुँच जाने चाहिए। इस अंतिम तारीख के बाद प्राप्त ऐसे सदस्यों के पोस्टल बैलट फॉर्म के बारे में ऐसा मान लिया जाएगा कि वे प्राप्त नहीं हुए हैं।
8. यदि आवश्यकता हुई तो कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट फॉर्म की दूसरी प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है। फिर भी, विधिवत भरी हुई पोस्टल बैलट फॉर्म की दूसरी प्रति कॉलम सं. 7 में निर्धारित अंतिम तारीख तक संवीक्षक के पास पहुँच जानी चाहिए।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि सेल्फ एड्रेस पोस्टेज पूर्व भुगतान किए गए लिफाफे में पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ अन्य किसी प्रकार के कागजात न संलग्न करें।
10. निर्दिष्ट तारीख यानि **बुधवार, 9 अक्टूबर, 2019** की स्थिति में शेयरधारकों के नाम पर प्रदत्त पंजीकृत शेयरों के अनुसार ही वोटिंग अधिकार तय किया जाएगा।
11. पोस्टल बैलट फॉर्म की वैधता के बारे में संवीक्षक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
12. पोस्टल बैलट द्वारा किए गए वोटिंग के परिणाम **गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019** तक या उससे पूर्व घोषित कर दिया जाएगा तथा इसे बैंक के केंद्रीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज, बैंक के वेबसाइट पर एवं ई-वोटिंग एजेंसी को दी जाएगी।
13. ई-वोटिंग : सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा इसमें लिखित नियमों के अनुपालन में ई-वोटिंग के तहत बैंक (एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से) विकल्प के रूप में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग करने की ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रदान करता है जिससे उन्हें भौतिक फॉर्म भेजना न पड़े। यह नोट करें कि यदि शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोटिंग का चयन करता है तो उसे भौतिक रूप से वोटिंग फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शेयरधारक दोनों माध्यमों से वोटिंग करते हैं यानि ई-वोटिंग और भौतिक वोटिंग फॉर्म से ई-वोटिंग को वैध माना जाएगा और शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत भौतिक वोटिंग फॉर्म को अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के संबंध में दिए गए विस्तृत निर्देशों के लिए नोटिस और उसमें दी गई टिप्पणियों का संदर्भ लें।
1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. **5.00 p.m. on Tuesday, 12th November, 2019**. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Member has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. **Wednesday, 9th October, 2019**.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before **Thursday, 14th November, 2019** and displayed on the Notice Board of the Bank at its Central Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and E-Voting Agency.
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of NSDL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e. Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to e-voting.